राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 335/2023

आशीष कुमार डागर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य नियंत्रक लेखा–I, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिडेट, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक अभियन्ता (A-IV) जे.पी.डी. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिडेट, राजस्थान, जयपुर।
4. मुकेश कुमार राठी, सहायक लेखाधिकारी–II, कार्यालय सहायक अभियन्ता (A-IV) जे.पी.डी. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिडेट, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी–II के पद पर कार्यालय सहायक अभियन्ता (A-IV) जे.पी.डी., जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.07.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्यालय सहायक अभियन्ता (G-II) विद्याधर नगर, जे.पी.डी. जयपुर (जे.सी.सी.) से कार्यालय सहायक अभियन्ता (A-V) जे.पी.डी. बिन्दायका (जे.सी.सी.) किया गया। जहां अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.07.2022 (अनुलग्नक–3) को कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.08.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा 20 दिवस पश्चात् ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक अभियन्ता (A-V) जे.पी.डी. बिन्दायका (जे.सी.सी.) से सहायक अभियन्ता (A-IV) वैशाली नगर, जे.पी.डी., जयपुर किया गया, जिसकी अनुपालना में दिनांक 16.08.2022 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 17.08.2022 को पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय सहायक अभियन्ता (A-IV), जे.पी.डी., जयपुर से सहायक अभियन्ता (O&M), जे.पी.डी., खानपुर झालावाड़ 350 कि.मी. दूर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया।

अपीलार्थी की पत्नी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, मंडौर, फागी, जयपुर में कार्यरत है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी के एक वर्ष की छोटी बच्ची है (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी का स्थानान्तरण छः माह की अल्पावधि में दो बार स्थानान्तरण बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना प्रशासनिक आवश्यकताओं के दुर्भावनापूर्वक किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर सहायक लेखाधिकारी–II के पद पर कार्यालय सहायक अभियन्ता (A-IV) जे.पी.डी., जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

इस प्रकार आलोच्य स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है इसमें किसी प्रकार की विधिक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है इसलिए आलोच्य आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को हमारे द्वारा लिखायाा जाकर मुंद्राकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)